

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1746]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 5, 2014/भाद्र 14, 1936

No. 1746]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 5, 2014/BHADRA 14, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

(आयकर)

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2014

का.आ.2231(अ).- जबकि, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार एवं वित्तीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और भूटान की शाही सरकार के बीच एक करार (जिसे इसके पश्चात् करार कहा जाएगा) पर 4 मार्च, 2013 को भारत में हस्ताक्षर किए गए थे;

2. और जबकि, उक्त करार को लागू करने की तारीख 17 जुलाई, 2014 है, जो उक्त करार के अनुच्छेद 29 के पैरा 2 के अनुसार उक्त करार को लागू करने के लिए संबंधित कानूनों के तहत यथा अपेक्षित प्रक्रियाएं पूरी करने संबंधी अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख है;

3. और जबकि, उक्त करार के अनुच्छेद 29 के पैराग्राफ 3 के उप पैरा (क) में प्रावधान है कि भारत में उक्त करार के उपबंध करार लागू होने वाले कलेंडर वर्ष के तुरन्त बाद आने वाले वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन या इसके बाद व्युत्पन्न आय की राशि पर लागू होंगे;

4. इसलिए अब, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उप धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि उक्त करार के सभी उपबंध, जो इसके साथ संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं, भारत संघ में लागू होंगे।

[अधिसूचना सं.42/2014फा.सं. 503/4/2004-एफटीडी-II]

रजत बंसल, संयुक्त सचिव

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और

राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए

भारत गणराज्य की सरकार

और

भूटान साम्राज्य की शाही सरकार

के बीच करार

भारत गणराज्य की सरकार और भूटान साम्राज्य की शाही सरकार की शाही सरकार, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए तथा दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक करार निष्पन्न करने की इच्छा से, निम्नानुसार सहमत हुई है :

अनुच्छेद - 1

शामिल व्यक्ति

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं।

अनुच्छेद - 2

शामिल कर

1. यह करार किसी संविदाकारी राज्य अथवा इसके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा आय पर लगाए गए करों के संबंध में लागू होगा, चाहे वे किसी भी तरह से लगाए जाएं।
2. चल अथवा अचल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर लगाए गए करों सहित कुल आय अथवा आय के तत्वों पर लगाए गए सभी करों और उद्यमों द्वारा अदा की गई मजदूरियों अथवा वेतनों की कुल धन राशियों पर लगाए गए करों को आय पर करों के रूप में माना जाएगा।
3. जिन मौजूदा करों पर यह करार लागू होगा, वे विशेष रूप से इस प्रकार हैं:-
 - (क) भारत में, आयकर, जिसमें उस पर लगने वाला कोई भी अधिभार शामिल है;
(जिसे इसके बाद "भारतीय कर" कहा जाएगा) ;
 - (ख) भूटान में, आयकर, जिसमें उस पर लगने वाला कोई भी अधिभार शामिल है;
(जिसे इसके बाद "भूटानी कर" कहा जाएगा)।
4. यह करार किसी भी समरूप अथवा तत्त्वतः समान करों पर भी लागू होगा जो करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पश्चात् विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे जो उनके अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए हों।

अनुच्छेद - 3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस करार के प्रयोजनार्थ जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :
 - (क) "भारत" शब्द से अभिप्रेत है : भारत का राज्यक्षेत्र और इसमें राज्यक्षेत्रीय समुद्र और उसके ऊपर के वायुमंडलीय क्षेत्र के साथ-साथ कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल है जिनमें समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय सहित भारतीय कानून तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हैं ;
 - (ख) "भूटान" शब्द से तात्पर्य है भूटान का राज्यक्षेत्र, जिसमें उसके ऊपर का वायुमंडलीय क्षेत्र और कोई अन्य क्षेत्र शामिल है जिसपर भूटान के कानून के अनुसार और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार भूटान का प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार तथा क्षेत्राधिकार है;
 - (ग) "एक संविदाकारी राज्य" तथा "दूसरा संविदाकारी राज्य" शब्दों का अर्थ संदर्भ की अपेक्षानुसार भारत गणराज्य अथवा भूटान राज्य है;

(घ) "व्यक्ति" शब्द में कोई व्यक्ति, कोई कम्पनी, व्यक्तियों का कोई निकाय और कोई अन्य सत्ता शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के तहत एक कराधेय इकाई के रूप में समझा जाता है ;

(ङ.) "कम्पनी" शब्द से कोई निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता अभिप्रेत है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक कम्पनी अथवा एक निगमित निकाय के रूप में माना जाता है;

(च) "उद्यम" शब्द किसी प्रकार के कारोबार को करने पर लागू होगा ;

(छ) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" शब्दों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है;

(ज) "अंतरराष्ट्रीय यातायात" शब्दों से अभिप्रेत है - किसी उद्यम द्वारा परिचालित किसी जलयान अथवा वायुयान द्वारा परिवहन, जिसका उस संविदाकारी राज्य में प्रभावी प्रबंध-स्थान स्थित है सिवाए उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो ;

(झ) "सक्षम प्राधिकारी" शब्द से अभिप्रेत है :

(i) भारत में : वित्त मंत्री, भारत सरकार अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि;

(ii) भूटान में : वित्त मंत्री, रॉयल भूटान सरकार अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि;

(ञ) "राष्ट्रिक" शब्द से अभिप्रेत है :

(i) किसी एक संविदाकारी राज्य की **राष्ट्रीयता** धारण करने वाला कोई व्यक्ति;

(ii) कोई विधिक व्यक्ति, भागीदारी अथवा संस्था, जिसे अपनी इस तरह की हैसियत किसी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से प्राप्त होती हो;

(ट) "कर" शब्द से संदर्भ के अनुसार भारतीय कर अथवा भूटानी कर अभिप्रेत है, परन्तु इसमें ऐसी कोई रकम शामिल नहीं होगी, जो उन करों के संबंध में किसी भूल अथवा चूक के संदर्भ में देय हो, जिन पर यह करार लागू होता हो अथवा उन करों के संबंध में लगाए गए अर्थदंड अथवा जुर्माने का द्योतक हो ;

(ठ) भारत के संबंध में शब्द "वित्तीय वर्ष" से तात्पर्य है एक अप्रैल से आरंभ होने वाला और 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष और भूटान के संबंध में शब्द "आय वर्ष" से तात्पर्य है 1 जनवरी को आरंभ होने वाला और 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाला कैलेंडर वर्ष।

2. किसी संविदाकारी राज्य द्वारा जहां तक इस करार को किसी समय लागू किए जाने का प्रश्न है, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसमें **अपरिभाषित** किसी शब्द का वही अर्थ होगा जो उन करों के प्रयोजनों के लिए उस राज्य, जिस पर यह करार लागू होता है, के कानूनों के अंतर्गत उस समय होता है और यह अर्थ उस राज्य पर लागू किए जाने वाले कर कानूनों के अंतर्गत लगाए गए अर्थ पर प्रभावी होगा जो उस राज्य के कर कानूनों के अंतर्गत लगाए गए हैं ।

अनुच्छेद - 4

निवासी

1. इस करार के प्रयोजनार्थ "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" शब्द का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है जिस पर उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रबन्ध-स्थान अथवा किसी ऐसे ही अन्य कारण से कर लगाया जा सकता है और तथापि, इसमें वह राज्य और इसका कोई राजनयिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल हो। तथापि इस शब्द में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं होगा जिस पर केवल उस राज्य में स्थित स्रोतों से होने वाली आय पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है ;

2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण यदि कोई व्यक्ति दोनों ही संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी :

क) उसे केवल उसी राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो; यदि उसे दोनों ही राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, तो वह उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध **घनिष्ठ** हैं (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) ;

ख) यदि उस राज्य का जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निर्धारण नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसे दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो ;

ग) यदि उसके पास आदतन दोनों ही राज्यों में आवास हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में आवास नहीं हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह एक **राष्ट्रिक** है ;

घ) यदि वह दोनों ही राज्यों का **राष्ट्रिक** हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य का **राष्ट्रिक** नहीं हो तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे ।

3. जहाँ इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण किसी **व्यक्ति** से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तब उसे केवल उस राज्य का निवासी माना जाएगा जहाँ उसका प्रभावी प्रबंध का स्थान स्थित है । यदि वह राज्य जहाँ उसका प्रभावी **प्रबंध** का स्थान स्थित है, का निर्धारण नहीं किया जा सकता हो **संविदाकारी** राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से इस प्रश्न का समाधान करेंगे ।

अनुच्छेद - 5

स्थायी संस्थापन

1. इस करार के प्रयोजनार्थ "स्थायी संस्थापन" पद का आशय कारोबार के उस निश्चित स्थान से है, जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है ।

2. "स्थायी संस्थापन" पद में **विशेषतया** निम्नलिखित शामिल होंगे :

- (क) प्रबंध का कोई स्थान ;
- (ख) कोई शाखा ;
- (ग) कोई कार्यालय;
- (घ) कोई कारखाना ;
- (ङ) कोई कार्यशाला ;
- (च) कोई बिक्री केन्द्र ;
- (छ) किसी व्यक्ति से संबंधित कोई भण्डागार, जो दूसरों को भण्डारण सुविधाएं मुहैया कराता हो ;
- (ज) कोई फार्म, बागवानी अथवा अन्य स्थान जहां **कृषि**, वानिकी, बागवानी अथवा इससे संबंधित कार्यकलाप किए जाते हों; और
- (झ) कोई खान, तेल अथवा गैस का कुआँ, खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के **निष्कर्षण** का कोई अन्य स्थान ।

3. (क) कोई भवन-स्थल अथवा निर्माण, प्रस्थापन अथवा संयोजन परियोजना अथवा उससे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप यदि ऐसा भवन स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप चार महीने से अधिक समय तक चले ;

(ख) सेवाएं प्रस्तुत करना, जिसमें इस प्रयोजन हेतु उद्यम द्वारा लगाए गए कर्मचारियों अथवा अन्य कार्मिकों के माध्यम से किसी उद्यम द्वारा दी गई परामर्शी सेवाएं शामिल हैं, स्थायी संस्थापन बनता है लेकिन तभी जहां उस स्वरूप के क्रियाकलाप किसी 12 महीने की अवधि के भीतर कुल मिलाकर 120 दिनों से अधिक की अवधि या अवधियों के लिए देश के भीतर जारी रहते हों ।

4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं समझा जाएगा :

- (क) उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के मात्र भण्डारण, प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का इस्तेमाल करना ;
- (ख) मात्र भण्डारण, प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य वस्तुओं के किसी स्टॉक का रख-रखाव करना ;
- (ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के स्टॉक का रख-रखाव करना ;

- (घ) उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं को केवल क्रय करने के लिए अथवा सूचना एकत्र करने के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना ;
- (ङ.) उद्यम के लिए केवल प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के किसी अन्य कार्यकलाप को चलाने के प्रयोजनार्थ कारोबार के लिए निश्चित स्थान का रख-रखाव करना ;
- (च) मात्र विज्ञापन, सूचना की आपूर्ति के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान या समान क्रियाकलाप के प्रयोजनार्थ व्यवसाय के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना, जो कि एक उद्यम के लिए किसी प्रारम्भिक या सहायक स्वरूप के हों।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां स्वतंत्र हैसियत के किसी अभिकर्ता, जिस पर पैराग्राफ 7 लागू होता हो, से भिन्न कोई व्यक्ति अन्य संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से एक संविदाकारी राज्य में कार्य करता है, वहां किन्हीं उन कार्यकलापों के संबंध में, जिन्हें उक्त व्यक्ति उद्यम के लिए करता है, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में उस उद्यम के स्थायी संस्थापन का होना माना जाएगा, यदि ऐसे व्यक्ति को :

- (क) उस उद्यम के नाम से उस राज्य में संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह आदतन उस प्राधिकार का प्रयोग भी करता हो, जब तक कि ऐसे व्यक्ति की गतिविधियां पैराग्राफ 4 में उल्लिखित उन गतिविधियों तक सीमित न हों, जिन्हें यदि वह कारोबार के एक निश्चित स्थान के माध्यम से प्रयोग करता है, को उस पैराग्राफ के उपबंधों के अधीन कारोबार के इस निश्चित स्थान को एक स्थायी संस्थापन नहीं बनाएगा; अथवा
- (ख) ऐसा कोई प्राधिकार प्राप्त नहीं हो, किन्तु वह फिर भी आदतन प्रथमोल्लिखित राज्य में ऐसे माल अथवा पण्य-वस्तुओं का स्टॉक रखता हो जिसमें से वह उद्यम की ओर से माल अथवा पण्य-वस्तुओं की नियमित रूप से डिलीवरी करता हो;
- (ग) स्वयं, उद्यम के लिए पूर्णतया अथवा लगभग पूर्णतया प्रथमोल्लिखित राज्य में आदतन कार्य का आर्डर प्राप्त करता हो ।

6. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी बीमा उद्यम को पुनः बीमा करने के मामले को छोड़कर, दूसरे संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन का होना तभी माना जाएगा, यदि वह स्वतंत्र हैसियत वाले किसी एजेंट, जिस पर पैराग्राफ 7 लागू होता हो, से भिन्न किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से उस अन्य राज्य के क्षेत्र में बीमे का प्रीमियम एकत्र करता है अथवा वहां स्थित जोखिमों का बीमा करता है।

7. किसी उद्यम का किसी संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन का होना नहीं माना जाएगा कि वह उस राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों । तथापि, जब ऐसे किसी एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः उस उद्यम की ओर से किए जाते हों, तो उसे इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अंतर्गत स्वतंत्र हैसियत का एजेंट नहीं समझा जाएगा।

8. यह तथ्य कि कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी ऐसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है, को उन दोनों में से कोई भी कम्पनी स्वतः ही दूसरे की स्थायी संस्थापन नहीं बन जाएगी ।

अनुच्छेद - 6

अचल सम्पत्ति से आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा ।

2. "अचल सम्पत्ति" पद का अर्थ वही होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसका अर्थ है, जिसमें विचाराधीन सम्पत्ति स्थित है । इस पद में, किसी भी हालत में, ये शामिल होंगे - अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति,

कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, खनिज भण्डार, स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए अथवा दोहन के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार, जलयान, नौकाएं और वायुयान और सड़क परिवहन वाहन अचल सम्पत्ति के रूप में नहीं माने जाएंगे ।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने अथवा इसके किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से उद्भूत होने वाली आय पर भी लागू होंगे ।
4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध, किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निपादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे ।

अनुच्छेद – 7

कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो । यदि उक्त उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो उस स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुए माने जाएंगे ।
2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में ऐसे स्थायी संस्थापन के कारण हुए लाभ, वे लाभ माने जाएंगे जिनके होने की संभावना तब होगी जब एक समान या उससे मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक समान या मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगे हुए कोई और भिन्न उद्यम हो और वे उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता है जिसका वह एक स्थायी संस्थापन है । जहां किसी स्थायी संस्थापन के कारण प्राप्त हुए लाभों की सही राशि को पहले से निर्धारित नहीं किया जा सकता अथवा उनका निर्धारण असामान्य कठिनाईयां प्रस्तुत करता है तो स्थायी संस्थापन के कारण प्राप्त हुए लाभों को उचित आधार पर अनुमानित किया जा सकता है । तथापि, इस प्रकार अपनाया गया अनुमान इस प्रकार का होगा कि परिणाम इस अनुच्छेद में सम्मिलित सिद्धांतों के अनुसरण में होगा।
3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण करने में, उस राज्य के कानूनों के उपबंधों और उसकी सीमाओं के अध्यधीन उन खर्चों की कटौती की अनुमति दी जाएगी, जो उस स्थायी संस्थापन के प्रयोजनार्थ खर्च किए जाते हैं, जिनमें इस प्रकार लगाए गए कार्यकारी एवं सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं, भले ही वे उस राज्य में उस राज्य के कर कानूनों के उपबंधों और उनकी परिसीमाओं के अनुसार किए गए हों, जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र किए गए हों। तथापि, स्थायी संस्थापन द्वारा राशियों के संबंध में उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा इसके किन्हीं अन्य कार्यालयों को पेटेंटों, जानकारी अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में रायल्टियों, फीसों अथवा इसी तरह की अन्य अदायगियों के रूप में अथवा कमीशन के रूप में, निष्पादित विविष्ट सेवाओं के लिए अथवा प्रबंधन के लिए अथवा बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर, स्थायी संस्थापन को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न) यदि कोई हों, और अदा की गई हों तो उसके संबंध में ऐसी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी । इसी प्रकार एक स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में उस रकम को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जो स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा इसके किसी अन्य कार्यालयों को पेटेंटों, जानकारी अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में रायल्टियों, फीसों अथवा इसी तरह की अन्य अदायगियों के रूप में अथवा निपादित विशेष सेवाओं अथवा प्रबंधन के लिए कमीशन के रूप में अथवा किसी बैंकिंग उद्यम के मामले को छोड़कर उद्यम अथवा इसके किसी अन्य कार्यालय के कार्यालय प्रमुख को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न व्यय) राशियाँ प्रभारित की गई हों ।
4. जहां एक संविदाकारी राज्य में उद्यम के कुल लाभ को उसके विभिन्न भागों में प्रभाजन के आधार पर एक स्थायी संस्थापन को होने वाले लाभ का निर्धारण करने की प्रथा हो, वहां पैराग्राफ 2 की कोई भी बात उस संविदाकारी राज्य में प्रचलित प्रभाजन पद्धति से कर योग्य लाभ का निर्धारण करने से प्रतिबाधित नहीं करेगी, तथापि, प्रभाजन के लिए अपनाई गई विधि ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धांतों के अनुकूल होगा ।
5. कोई लाभ, केवल इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन ने उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुएं खरीदी हैं।
6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण हुए लाभों को तब तक वर्षनुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठोस तथा पर्याप्त कारण नहीं हो ।
7. जहां लाभों में आय की ऐसी मदें शामिल होती हैं जिनका इस करार के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे ।

अनुच्छेद - 8**जहाजरानी और वायु परिवहन**

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा **अन्तरराष्ट्रीय** यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त होने वाले लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जिसमें उस उद्यम के प्रभावी प्रबंधन का स्थान स्थित है ।
2. यदि किसी जहाजरानी उद्यम के प्रभावी प्रबंधन का स्थान किसी जहाज पर है तो उसे उस संविदाकारी राज्य में स्थित हुआ माना जाएगा, जलयान का प्रचालक जिसका निवासी है ।
3. किसी संविदाकारी राज्य में, जिसमें उद्यम का प्रभावी प्रबंध का स्थान स्थित है, किसी परिवहन उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में माल द्वारा अथवा पण्य के परिवहन के लिए प्रयुक्त कंटेनरों के प्रयोग, रख-रखाव अथवा किराए द्वारा (जिसमें कंटेनरों के परिवहन के लिए ट्रेलर और अन्य उपकरण सहित) प्राप्त लाभ, जो कि अन्तरराष्ट्रीय परिवहन में उसके जलयान अथवा वायुयान के संचालन के लिए अनुपूरक अथवा **आनुषंगिक** हैं, केवल उस संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगे जब तक कि कंटेनर्स केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के भीतर प्रयोग किए जाते हैं ।
4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयान अथवा वायुयान के संचालन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े निवेशों पर ब्याज को ऐसे जलयानों अथवा वायुयान के संचालन से प्राप्त लाभ के रूप में माना जाएगा यदि वे ऐसे व्यापार को चलाने के लिए अनिवार्य है और ऐसे ब्याज के संबंध में अनुच्छेद 11 के उपबंध लागू नहीं होंगे ।
5. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल में भागीदारी, किसी संयुक्त उद्यम अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय प्रचालन एजेंसी में प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 9**सहयोगी उद्यम**

1. जहां
 - (क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है ; अथवा
 - (ख) वे ही व्यक्ति, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं ;

और दोनों में से किसी भी अवस्था में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जातीं तो ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण इस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तदनुसार कर लगाया जा सकेगा ।

2. जहां एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तदनुसार कर लगाता है जिस पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और उसमें सम्मिलित किए गए लाभ ऐसे लाभ हैं जो प्रथमोल्लिखित राज्य के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें उस तरह की होतीं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई जाती है, तब वह दूसरा राज्य उन लाभों पर उसमें प्रभारित कर की राशि के बराबर समुचित समायोजन करेगा । इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में इस करार के अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ परामर्श करेंगे ।

अनुच्छेद - 10**लाभांश**

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे ।
2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसका लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, परन्तु यदि लाभांश का हितभागी स्वामी अन्य संविदाकारी राज्य का एक निवासी है तो इस प्रकार प्रभार्य कर लाभांशों की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । यह पैराग्राफ उन लाभों के संबंध में कम्पनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें से लाभांश अदा किए गए हैं ।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "लाभांश" पद का अभिप्राय शेरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है जो लाभ की भागीदारिता, ऋण के दावे न हों, और अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय से है जिस पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है जो उस राज्य के कानूनों के अन्तर्गत शेरों से प्राप्त आय पर लागू होती है, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है।
4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है और धारिताएं जिनके संबंध में लाभांश अदा किए गए हैं, स्थायी संस्थापन से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसी स्थिति में, अनुच्छेद 7 के उपबंध लागू होंगे।
5. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, तो वह दूसरा राज्य कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर हो सकता है किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाए, जब तक कि ऐसे लाभांश उस दूसरे राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाते हों, अथवा जब तक कि जिन धारिताओं के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती हो, वह उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन से प्रभावी रूप से संबद्ध हो और न ही कम्पनी के अवितरित लाभों पर कर लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभपूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हों।

अनुच्छेद - 11

ब्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, किन्तु यदि ब्याज का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है तो इस प्रकार प्रभारित कर, ब्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत ब्याज पर संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी बशर्ते कि वह निम्नलिखित के द्वारा प्राप्त किया गया हो और हितभागी रूप से अपने स्वामित्व में रखा गया हो :
 - क) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण; अथवा
 - ख) (i) भारत के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय आयात-निर्यात बैंक; और
 - (ii) भूटान के मामले में, रॉयल मौनेटरी अथॉरिटी और भूटान डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड; अथवा
 - ग) कोई अन्य संस्थान, जिस पर संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच समय-समय पर पत्रों के आदान-प्रदान के माध्यम से सहमति हुई हो।
4. इस अनुच्छेद में यथा - प्रयुक्त "ब्याज" शब्द से अभिप्रेत है - प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय, चाहे वह बंधक द्वारा प्रतिभूत हों अथवा नहीं और चाहे उन्हें ऋण-दाता के लाभ में भागीदारी का कोई अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं हो और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों से, प्राप्त आय और जमा, बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों से प्राप्त आय जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों से संबंधित प्रीमियम और पुरस्कार के साथ-साथ आय शामिल हों। विलम्बित अदायगी के लिए अर्थदंड संबंधी प्रभारों को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए ब्याज नहीं समझा जाएगा।
5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ब्याज का हितभागी स्वामी, संविदाकारी राज्य का निवासी होने से दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें ब्याज उद्भूत हुआ हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन प्रभावी रूप से सम्बद्ध हो। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 के उपबंध लागू होंगे।
6. ब्याज किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा, यदि ब्याज अदा करने वाला उस राज्य का निवासी हो। तथापि, जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं किसी संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन है और इस संबंध में ऋण जिस पर ब्याज प्रदत्त किया गया था, इस प्रकार का ब्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है, तो इस प्रकार का ब्याज उस राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।
7. जहां, अदा करने वाले और हितभागी स्वामी अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज की रकम, उस ऋणदावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए यह रकम अदा की गई है, उस रकम से

बढ़ जाती है, जिसके संबंध में इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध अंतिम रूप से वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। ऐसे मामले में अदायगियों के आधिक्य भाग पर इस करार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद - 12

तकनीकी और व्यावसायिक सेवाओं के लिए फीस एवं रायल्टियाँ

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टियों या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टियाँ या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत हुई या, उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, लेकिन यदि रायल्टियों अथवा तकनीकी अथवा व्यवसायिक सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है तो इस प्रकार लगाया गया कर रायल्टियों या तकनीकी अथवा व्यवसायिक सेवाओं के लिए फीस की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
3. (क) इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त “रायल्टियाँ” शब्द का अभिप्राय है - किसी साहित्यिक, कलात्मक, अथवा वैज्ञानिक कृति के किसी कापीराइट, जिसमें सिनेमेटोग्राफिक फिल्में अथवा रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए प्रयुक्त फिल्में अथवा टेपें शामिल हैं, किसी पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन अथवा मॉडल, प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया या किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित सूचना के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त की गई किसी भी प्रकार की अदायगियाँ।
- (ख) इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त “तकनीकी अथवा व्यवसायिक सेवाओं के लिए फीस” का अर्थ निम्नलिखित के विचारार्थ इस करार के अनुच्छेद 14 में उल्लिखित के अलावा किसी भी प्रकार के भुगतान से है -
 - (i) तकनीकी सेवाओं अथवा अन्य कार्मिकों के उपबंध सहित प्रबंधकीय, अथवा तकनीकी अथवा परामर्शदायी सेवाएं; अथवा
 - (ii) स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन कार्यकलापों के साथ-साथ चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुकारों, शल्य चिकित्सकों, दंत चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलापों सहित व्यावसायिक सेवाएं।
4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि तकनीकी अथवा व्यवसायिक सेवाओं के लिए फीस या रायल्टियों का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें तकनीकी अथवा व्यवसायिक सेवाओं के लिए फीस या रायल्टियाँ उद्भूत होती हैं, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में तकनीकी अथवा व्यवसायिक सेवाओं के लिए फीस या रायल्टियाँ अदा की जाती है, वे ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से सम्बद्ध हैं। ऐसे मामले में यथास्थिति अनुच्छेद 5 के साथ पठित अनुच्छेद 7 के उपबंध लागू होंगे।
5. (क) एक संविदाकारी राज्य में तकनीकी अथवा व्यवसायिक सेवाओं के लिए फीस तथा रायल्टियाँ तब उद्भूत हुई मानी जाएंगी, जब अदाकर्ता स्वयं वह राज्य, एक राजनैतिक उप-प्रभाग, स्थानीय प्राधिकारी अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। तथापि, जहां तकनीकी अथवा व्यवसायिक सेवाओं के लिए फीस तथा रायल्टियाँ अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, उस संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन हो, जिनके संबंध में तकनीकी अथवा व्यवसायिक सेवाओं के लिए फीस तथा रायल्टियाँ अदा करने की जिम्मेदारी निभाई गई हो, और ऐसी तकनीकी अथवा व्यवसायिक सेवाओं के लिए फीस तथा रायल्टियाँ उस स्थायी संस्थापन द्वारा वहन की जाती हो, तब ऐसी तकनीकी अथवा व्यवसायिक सेवाओं के लिए फीस तथा रायल्टियाँ उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएंगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन स्थित है।
- (ख) जहां उप-पैराग्राफ (क) के अंतर्गत तकनीकी अथवा व्यवसायिक सेवाओं के लिए फीस तथा रायल्टियाँ किसी एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत नहीं होती है और रायल्टियाँ, प्रयोग, अथवा प्रयोगाधिकार, अधिकार अथवा सम्पत्ति से संबंधित है अथवा तकनीकी अथवा व्यवसायिक सेवाओं के लिए फीस किसी एक संविदाकारी राज्य में निष्पादित सेवाओं से संबंधित है, तो तकनीकी अथवा व्यवसायिक सेवाओं के लिए फीस तथा रायल्टियाँ उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएंगी।
6. जहां, अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण तकनीकी अथवा व्यवसायिक सेवाओं के लिए फीस तथा रायल्टियाँ प्रयोग, अधिकार अथवा सूचना के संबंध में जिस के लिए वह अदा की जाती है, किसी भी कारण से उस राशि से अधिक हो जाती है जिस पर ऐसे संबंधों की अनुपस्थिति में

अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी द्वारा सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगियों का आधिक्य भाग इस करार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कराधेय होगा।

अनुच्छेद - 13

पूँजीगत अभिलाभ

1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अंतरण से एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
2. ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से अभिलाभ पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारोबारी संपत्ति का एक हिस्सा है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अंतरण से होने वाले अभिलाभ भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों के अंतरण से अथवा इस प्रकार के जलयानों, वायुयानों के प्रचालन से संबंधित, चल सम्पत्ति के अंतरण, द्वारा अभिलाभों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें उद्यम के प्रभावी प्रबंधन का स्थान स्थित है।
4. किसी कम्पनी के पूँजीगत स्टॉक के शेयरों के अंतरण से अभिलाभों पर जिसकी सम्पत्ति मुख्यतया प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति है, उस पर उस राज्य में कर लगाया जाएगा।
5. किसी कंपनी, जो संविदाकारी राज्य की निवासी है, पर पैराग्राफ 4 में उल्लिखित के अलावा शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है।
6. पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 तथा 5 में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी भी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अंतरणकर्ता एक निवासी है।

अनुच्छेद - 14

परावलम्बित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 15, 17, 18, 19 और 20 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा, जब तक कि नियोजन का निष्पादन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया हो। यदि ऐसा नियोजन किया गया है, तो जो पारिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है, उस पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।
2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के बावजूद, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में कर लगाया जा सकेगा, यदि :
 - (क) प्राप्तकर्ता, संबंधित वित्तीय वर्ष में अथवा आय वर्ष, जैसा भी मामला हो, समाप्त अथवा प्रारंभ हुए किसी बारह महीने की ऐसी अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे राज्य में रह रहा है जो कुल मिलाकर 183 दिनों से अधिक नहीं हैं;
 - (ख) पारिश्रमिक ऐसे किसी नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया गया है, जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है; और
 - (ग) पारिश्रमिक ऐसे किसी स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है, जो नियोजक का दूसरे राज्य में हो।
3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के बावजूद, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में संचालित किसी पोत अथवा वायुयान पर किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद - 15**निदेशकों की फीस**

निदेशकों की फीस और इसी तरह की अन्य अदायगियों पर जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी कम्पनी, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, के निदेशक मंडल के सदस्य की हैसियत से प्राप्त की गई हो, पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद - 16**कलाकार और खिलाड़ी**

1. अनुच्छेद 14 के उपबंधों के बावजूद भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता, जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार अथवा किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के अपने वैयक्तिक कार्य-कलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपने इस प्रकार की हैसियत में किए गए वैयक्तिक कार्य-कलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो, अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, ऐसी आय पर अनुच्छेद 7 और 14 के उपबंधों के बावजूद, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्य-कलाप किए जाते हों।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा, किसी संविदाकारी राज्य में निष्पादित कार्य-कलापों से अर्जित आय पर लागू नहीं होंगे यदि कार्य-कलाप एक या दोनों संविदाकारी राज्यों या उनके राजनीतिक उप-प्रभागों या स्थानीय प्राधिकारियों की सार्वजनिक निधियों द्वारा पर्याप्त रूप से समर्थित हों। ऐसे मामले में उस आय पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगेगा जिसका वह मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी निवासी है।

अनुच्छेद - 17**पेंशन**

1. अनुच्छेद 18 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधधीन, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को उसके पिछले नियोजन के प्रतिफल के रूप में अदा की गई पेंशन और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लग सकेगा।

2. तथापि, ऐसी पेंशन तथा अन्य समान पारिश्रमिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है यदि भुगतान उस दूसरे राज्य अथवा उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के निवासी द्वारा किया गया हो।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए, अदा की गई पेंशन तथा सार्वजनिक योजना के अंतर्गत किए गए अन्य भुगतानों, जो किसी संविदाकारी राज्य अथवा राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा उसकी स्थानीय प्राधिकारी के सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का एक भाग है, पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद - 18**सरकारी सेवा**

1. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यष्टि को उस राज्य अथवा उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा किए गए पेंशन से भिन्न वेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में ही कर लग सकेगा।

(ख) तथापि, ऐसे वेतन, मजदूरी और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लग सकेगा, यदि सेवाएं उस राज्य में की जाती हैं, और व्यष्टि उस राज्य का एक निवासी हो, जो :

(i) उस राज्य का एक राष्ट्रिक है; अथवा

(ii) सेवाएं पेश करने के प्रयोजन मात्र के लिए उस राज्य का निवासी नहीं बना हो।

2. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अथवा उनके द्वारा सृजित निधियों में से किसी व्यष्टि को उस राज्य अथवा उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में अदा की गई किसी पेंशन पर केवल उस राज्य में कर लग सकेगा।

(ख) तथापि, ऐसी पेंशन पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा, यदि **व्यष्टि** उस राज्य का निवासी तथा **राष्ट्रिक** हो ।

3. अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17 के उपबंध, किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए गए किसी कारोबार के सिलसिले में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में वेतन, मजदूरी और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 19

प्रोफेसर, अध्यापक और शोधकर्ता

1. कोई प्रोफेसर, अध्यापक या शोधकर्ता जो दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा दूसरे राज्य में अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान में शिक्षण या शोध कार्य या दोनों के प्रयोजन हेतु उस दूसरे संविदाकारी राज्य की यात्रा करने से तुरन्त पूर्व किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था, तो उसको उस दूसरे राज्य में उसके प्रथम आगमन की तारीख से एक **वर्ष** से अनधिक की अवधि के लिए ऐसे शिक्षण या शोध कार्य के लिए प्राप्त पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी ।

2. यह अनुच्छेद केवल शोध कार्य से प्राप्त होने वाली आय पर उसी स्थिति में लागू होगा यदि **व्यष्टि** द्वारा ऐसा शोधकार्य सार्वजनिक हित में किया जा रहा हो न कि मुख्य रूप से किन्हीं निजी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के लाभ के लिए ।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को संविदाकारी राज्य का निवासी होना माना जाएगा यदि वह उस वित्तीय **वर्ष** अथवा आय **वर्ष** में जैसा भी मामला हो, अथवा उससे तुरंत पहले वित्तीय **वर्ष** अथवा आय **वर्ष** में उस राज्य में निवासी है जिसमें वह दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है ।

पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ, "अनुमोदित संस्थान" का अर्थ ऐसे संस्थान से होता है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस बारे में अनुमोदित कर दिया गया है ।

अनुच्छेद - 20

विद्यार्थी

1. कोई विद्यार्थी जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त पहले उन संविदाकारी राज्यों में से किसी एक का निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ अन्य संविदाकारी राज्य में उपस्थित है उसे अनुदान और छात्रवृत्ति के अलावा उस अन्य राज्य में ऐसी अदायगियों पर कर से छूट होगी,

(क) उस अन्य राज्य के बाहर रह रहे व्यक्तियों द्वारा उसके भरण-पोषण, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिए उसे किए गए भुगतान पर; तथा

(ख) पारिश्रमिक, जो वह किसी नियोजन से प्राप्त करता है जिसे वह अन्य संविदाकारी राज्य में करता है, यदि नियोजन उसके अध्ययनों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है ।

2. इस अनुच्छेद के लाभ केवल ऐसी समयावधि तक उपलब्ध होंगे जो ऐसी शिक्षा एवं प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए तर्कसंगत हो अथवा प्रथागत रूप से अपेक्षित है परन्तु किसी भी हाल में किसी **व्यष्टि** को उसकी शिक्षा और प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ इस अनुच्छेद के लाभ उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके प्रथम आगमन की तिथि से लगातार छह **वर्षों** की अवधि से अधिक नहीं मिलेगा ।

अनुच्छेद - 21

अन्य आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदें, जहां-कहीं वे उद्भूत होती हों, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, केवल उस राज्य में कराधेय होंगी ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-परिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, तथा ऐसा अधिकार अथवा सम्पत्ति जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 के उपबंध लागू होंगे ।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की मदों, जिन पर इस करार के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में चर्चा नहीं की गई है और जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत होते हैं, पर उस दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकता है।

अनुच्छेद - 22

दोहरे कराधान के अपाकरण की विधि

1. दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानून संबंधित संविदाकारी राज्यों में आय के कराधान को अभिशासित करते रहेंगे, सिवाय जहां इसके विपरीत कोई **विशेष** उपबंध इस करार में किए गए हों। जहां दोनों संविदाकारी राज्यों में आयकर के अध्यक्षीन है, वहां इस अनुच्छेद के अनुसरण में दोहरे कराधान से छूट दी जाएगी।

2. दोहरे कराधान का अपाकरण निम्नानुसार किया जाएगा :

(i) भारत में :

क) जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है, जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार भूटान में कर लगाया जा सकता है, उन मामलों में भारत : उस निवासी की आय पर भूटान में उस आय पर अदा किए गए आय कर के बराबर की राशि की कटौती की अनुमति प्रदान करेगा :

तथापि, ऐसी कटौती की राशि, कटौती की अनुमति दिए जाने से पूर्व यथा-संगणित, कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जो ऐसी आय के कारण हो, जैसा भी मामला हो, जिस पर भूटान में कर लगाया जा सकता है।

ख) जहां करार के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में भारत के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गई आय पर भारत में कर से छूट प्राप्त है तो, भारत फिर भी, ऐसे निवासी की बाकी आय पर कर की राशि की संगणना करते समय उस छूट प्राप्त आय को ध्यान में रखेगा।

(ii) भूटान में:

क) जहां भूटान का कोई निवासी जो इस करार के उपबंधों के अनुसरण में आय प्राप्त करता है, पर भारत में कर लगाया जा सकता है, भूटान उसे उस निवासी की आय पर कर से उस राशि के बराबर छूट की अनुमति प्रदान करेगा, जो भारत में अदा की गई आय कर की राशि के बराबर है :

तथापि, ऐसी कटौती की राशि कटौती की अनुमति दिए जाने से पूर्व यथा-संगणित आय पर आय कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जो उस आय, जैसा भी मामला हो, पर आरोप्य है, जिस पर भारत में कर लगाया जा सकता हो।

ख) जहां भूटान के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गई आय पर इस करार के किसी उपबंध के अनुसरण में भूटान में कर से छूट प्राप्त होती है, वहां भूटान फिर भी ऐसे निवासी की **शेष** आय कर की राशि की संगणना करते समय छूट प्राप्त आय को ध्यान में रखता है।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 तथा 2 में उल्लिखित भूटान में किसी उद्यम (स्थायी संस्थापन होते हुए) द्वारा देय कर में ऐसे कर को शामिल माना जाएगा जो देय होता, यदि वित्त मंत्रालय, रॉयल भूटान सरकार (अधिसूचना संदर्भ संख्या डीआरसी/टैक्स ए एंड एल/एचओएल/2010/3656, दिनांक 02 अप्रैल, 2010) द्वारा जारी किये गये **राजकोषिय** प्रोत्साहन, 2010 के **अंतर्गत** शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों में निम्नलिखित कर प्रोत्साहन न होते जिन्हें भूटान में आर्थिक विकास के संवर्द्धन के लिए तैयार किया गया है।

(i) शिक्षा क्षेत्र : थिंपू तथा फ्यूंट शोलिंग शहरों के बाहर स्थापित शैक्षिक अथवा व्यवसायिक संस्थान (200 विद्यार्थियों की न्यूनतम नामांकन क्षमता सहित)

(ii) स्वास्थ्य क्षेत्र : उच्च उद्देश्य वाला निजी स्वास्थ्य सेवा केन्द्र अथवा अस्पताल (200 मिलियन रुपये/एनयू की न्यूनतम परियोजना लागत के साथ)।

4. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के होते हुए भूटानी कर को इस अनुच्छेद के उस पैराग्राफ के अंतर्गत निम्नलिखित के बारे में अदा किया हुआ नहीं माना जाएगा :

- (i) लाभांशों, ब्याज, पूंजीगत अभिलाभों से अथवा ऐसे कार्यकलापों से प्राप्त आय जो शैक्षिक अथवा व्यावसायिक संस्थान अथवा स्वास्थ्य सेवा केन्द्र या अस्पताल को चलाने से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े हैं, जैसा भी मामला हो; अथवा
- (ii) भारतीय निवासी द्वारा की गई किसी व्यवस्था से प्राप्त की गई आय करार के अनुच्छेद 27 (लाभों का परिसीमन) के उपबंधों के अंतर्गत है।

5. पैराग्राफ 3 के उपबंध इस करार के लागू होने की तारीख से पहले सात वर्ष हेतु लागू होंगे। इस अवधि को सक्षम प्राधिकारियों के बीच आपसी सहमति द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

अनुच्छेद 23

सम-व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर विशेषतः निवास के संबंध में उन्हीं परिस्थितियों में लागू होती हो अथवा लागू की जा सकती हो। अनुच्छेद 1 के उपबंधों के होते हुए भी यह उपबंध उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी नहीं हैं।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे राज्य में ऐसा कोई कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर समरूप कार्यकलापों को करने हेतु लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो। इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के लिए यह बाध्यकर है कि वह दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को, कराधान प्रयोजनों के लिए उनकी सिविल हैसियत अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए किसी प्रकार की ऐसी व्यक्तिगत छूट, राहत अथवा कटौतियों की मंजूरी दे जो वह अपने निवासियों को देता है। इस उपबंध का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य को दूसरे संविदाकारी राज्य की किसी कंपनी का प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन के लाभों को कर की उस दर पर प्रभारित करने से रोकना नहीं है जो उस दर से अधिक हो, जो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की ऐसी ही कंपनी के लाभों पर लगाया जाता है और न ही यह अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के प्रतिकूल है।

3. ऐसे मामले को छोड़कर जहां अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 1, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 7 या अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 6 के उपबंध लागू होते हैं, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किये गए ब्याज, रायल्टी, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तथा अन्य भुगतान, ऐसे उद्यम के कराधेय लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन्हीं शर्तों के अनुसार कटौती-योग्य होंगे मानो उनका भुगतान प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी को किया गया हो। इसी प्रकार एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को दिए गए ऋण, ऐसे उद्यम की कराधेय पूंजी को निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ, उन्हीं शर्तों के अधीन कटौती-योग्य होंगे, मानो वे प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी को प्रदान किए गए हों।

4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिसकी पूंजी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण या आंशिक रूप से दूसरे संविदाकारी राज्य के एक या अधिक निवासियों के स्वामित्व में हो या उनके द्वारा नियंत्रित की जाती हो, प्रथमोल्लिखित राज्य में कोई ऐसा कर नहीं लगाया जाएगा या तत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण है, जो प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य इसी प्रकार के उद्यमों पर लागू की जाती है या लागू की जा सकती है।

5. इस अनुच्छेद में "कराधान" शब्द का अर्थ उन करों से है जो इस करार के विषय हैं।

अनुच्छेद - 24

पारस्परिक करार विधि

1. जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्यवाहियों के कारण उस पर इस प्रकार कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो इस करार के उपबंधों के अनुरूप नहीं है तो वह उन राज्यों के स्वदेशी कानूनों द्वारा उपलब्ध कराए गए उपायों के होते हुए भी अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है, जिसका कि वह एक निवासी है अथवा यदि उसका मामला अनुच्छेद 23 के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत आता है तो वह अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह राष्ट्रिक है। इस मामले को उस कार्यवाही

की प्रथम अधिसूचना से तीन वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप ऐसा कराधान लगाया गया है जो इस करार के उपबंधों के अनुरूप नहीं है ।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी **संतोषजनक** हल पर पहुंचने में असमर्थ हो, तो वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से जो इस करार के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ पारस्परिक सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा । इस प्रकार किए गए किसी करार को संविदाकारी राज्यों के स्वदेशी कानूनों में किन्हीं समय सीमाओं के होते हुए भी क्रियान्वित किया जाएगा ।

3. इस करार की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में कोई कठिनाइयां अथवा शंकाएं हों, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे उन मामलों में भी दोहरे कराधान को दूर करने के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं जिनकी इस करार में व्यवस्था नहीं की गई हो।

4. पिछले पैराग्राफों के अभिप्राय से कोई करार करने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी संयुक्त आयोग के माध्यम से जिसमें वे स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि शामिल हों, के साथ-साथ एक दूसरे के साथ सीधे सम्पर्क कर सकते हैं । जहां करार करने के उद्देश्य से विचारों का मौखिक आदान-प्रदान करना उचित प्रतीत होता है, ऐसे आदान-प्रदानों को आयोग के माध्यम से किया जा सकता है जिसमें संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि शामिल हों।

अनुच्छेद - 25

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस करार के उपबंधों को लागू करने के लिए आनुमानिक रूप से संगत हो अथवा संविदाकारी राज्यों या उनके राजनीतिक उप-प्रभागों या स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से लगाए गए सभी प्रकार एवं विवरण के उन करों से संबंधित आंतरिक कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्तन के लिए आवश्यक हों, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस करार के प्रतिकूल नहीं है । सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है ।

2. पैराग्राफ - 1 के अंतर्गत किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (न्यायालय और प्रशासनिक निकाय सहित) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ - 1 में संदर्भित करों के संबंध में करों का निर्धारण या उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हों । ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे । वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में इसे प्रकट कर सकेंगे । पूर्ववर्ती सूचना के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना को दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है जब ऐसी सूचना को दोनों राज्यों के कानूनों के अंतर्गत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया गया हो और आपूर्तिकर्ता राज्य का सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रयोग को अधिकृत करता हो ।

3. सक्षम प्राधिकारी विचार-विमर्श के जरिए उन मामलों से संबंधित उपयुक्त शर्तें, तरीक तथा पद्धतियां विकसित करेंगे जिनके बारे में ऐसी सूचना का आदान-प्रदान किया जाएगा, साथ ही जहां उपयुक्त हो, कर परिहार के बारे में उपयुक्त सूचना का आदान-प्रदान किया जाएगा ।

4. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

- क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना ;
- ख) दस्तावेज अथवा दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियों सहित ऐसी सूचना की सफाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है ;
- ग) ऐसी सूचना की सफाई करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, गुप्त अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति (आर्डर पब्लिक) के प्रतिकूल हो ।

5. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपनी सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, चाहे उस दूसरे राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो । पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 4 की सीमाओं के अधीन है किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना सफाई करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है ।

6. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 4 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।

अनुच्छेद - 26

करों की वसूली में सहायता

1. संविदाकारी राज्य राजस्व दावों की वसूली में एक दूसरे की सहायता करेंगे। यह सहायता अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अनुप्रयोग की विधि परस्पर सहमति द्वारा तय कर सकते हैं।

2. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त शब्द "राजस्व दावा" का तात्पर्य संविदाकारी राज्यों, अथवा उनके राजनीतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से लगाए गए सभी किस्म के करों और विवरण से है, जहां तक उनके अंतर्गत कराधान इस करार अथवा कोई अन्य साधन जिसके लिए संविदाकारी राज्य पक्ष हैं के साथ-साथ ऐसी राशि से संबंधित ब्याज, प्रशासनिक अर्थ-दंड और वसूली अथवा संरक्षण के संबंध में देय राशि है।

3. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत प्रवर्तनीय होता है और यह किसी व्यक्ति द्वारा देय होता है और उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली को रोक नहीं सकता तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा वसूली के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जाएगा। उस राजस्व दावे को उस राज्य द्वारा अपने स्वयं के करों के प्रवर्तन और वसूली, मानो कि राजस्व दावा उस दूसरे राज्य का राजस्व दावा था, के लिए प्रयोज्य इसके कानूनों के उपबंधों के अनुसार उस दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा वसूल किया जाएगा।

4. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा वह दावा है जिसके संबंध में वह राज्य, अपने कानून के अंतर्गत, इसकी वसूली को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के उपाय करता है तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षण के उपाय करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा। वह दूसरा राज्य उस राजस्व दावे के संबंध में अपने कानूनों, मानो कि राजस्व दावे उस दूसरे राज्य के राजस्व दावे हों, के उपबंधों के अनुसार संरक्षण के उपाय करेगा यहां तक कि जब ऐसे उपायों का प्रयोग किया जाता है, राजस्व दावा प्रथमोल्लिखित राज्य में प्रवर्तनीय नहीं है अथवा उस व्यक्ति द्वारा देय है जिसे उसकी वसूली रोकने का अधिकार है।

5. पैराग्राफ 3 और 4 के उपबंधों के होते हुए भी इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किया गया दावा उस राज्य में किसी समय सीमा के अधधीन नहीं होगा अथवा उसी रूप में उसे इसके स्वरूप के कारण उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत किसी राजस्व दावे को प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किए गए राजस्व दावे को उस राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उस राजस्व दावे को प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं होगी।

6. किसी संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे के अस्तित्व, वैधता अथवा राशि के संबंध में कार्यवाही को केवल उस राज्य के न्यायालयों अथवा प्रशासनिक निकायों के समक्ष लाया जाएगा। इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ नहीं है जिसका अर्थ दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी न्यायालय अथवा प्रशासनिक निकाय के समक्ष ऐसी कार्यवाही के लिए किसी अधिकार का सृजन करना अथवा प्रदान करना लगाया जाएगा।

7. जहां किसी समय पैराग्राफ 3 अथवा 4 के तहत किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अनुरोध किए जाने के पश्चात् और दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा प्रथमोल्लिखित राज्य में संबंधित राजस्व दावे को दूसरे संविदाकारी राज्य में वसूल करने और प्रथमोल्लिखित राज्य को प्रेषित करने से पहले संबंधित राजस्व दावा वहां निम्नलिखित के संबंध में समाप्त हो जाएगा :

क) पैराग्राफ 3 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित राज्य का कोई राजस्व दावा जो उस राज्य के कानूनों के तहत प्रवर्तनीय है और ऐसे व्यक्ति द्वारा देय है जो उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली रोक नहीं सकता; अथवा

ख) पैराग्राफ 4 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित राज्य के राजस्व दावे जिसके संबंध में वह राज्य अपने कानूनों के तहत इसकी वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संरक्षण के उपाय करता है ;

प्रथमोल्लिखित राज्य का सक्षम प्राधिकारी इस तथ्य को दूसरे राज्य के सक्षम प्राधिकारी को तत्काल अधिसूचित करेगा और दूसरे राज्य के विकल्प पर प्रथमोल्लिखित राज्य अपने अनुरोध को या तो आस्थगित करेगा या फिर हटा लेगा।

8. इस अनुच्छेद के किसी भी उपबंध का अर्थ दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित के लिए बाध्यता लागू करना नहीं लगाया जाएगा :

क) उस संविदाकारी राज्य अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा के असंगत प्रशासनिक उपाय करना ;

ख) ऐसे उपाय करना जो लोक नीति (आर्डर पब्लिक) के विपरीत हों ;

- ग) सहायता प्रदान करना यदि दूसरे संविदाकारी राज्य ने इसके कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा के अंतर्गत उपलब्ध वसूली अथवा संरक्षण, जैसा भी मामला हो, के सभी समुचित उपायों को न किया हो ;
- घ) उन मामलों में सहायता प्रदान करना जहां उस राज्य के लिए प्रशासनिक बोझ दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा उद्भूत किए जाने वाले लाभ से **राष्ट्र** रूप से अनुपातहीन हो ।

अनुच्छेद - 27**लाभों का परिसीमन**

1. इस करार के उपबंध किसी भी स्थिति में एक संविदाकारी राज्य को कर परिहार अथवा अपवंचन से संबंधित इसके स्वदेशी कानूनों एवं उपायों के उपबंधों को लागू करने से नहीं रोकेंगे, चाहे वे इस रूप में वर्णित हों अथवा नहीं ।
2. एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम इस करार के लाभों के लिए हकदार नहीं होगा, यदि, ऐसे उद्यम के सृजन का मुख्य प्रयोजन अथवा प्रयोजनों में से एक मुख्य प्रयोजन इस करार के अंतर्गत लाभों को प्राप्त करना था जो अन्यथा प्राप्य नहीं होंगे ।
3. विधिक सत्ताओं के मामले, जिनकी प्रामाणिक कारोबारी गतिविधियाँ नहीं हैं, को इस अनुच्छेद के उपबंधों के तहत शामिल किया जाएगा ।

अनुच्छेद - 28**राजनयिक मिशन के सदस्य एवं कौंसुली पद**

इस करार की किसी बात से अंतरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा **विशेष** करारों के उपबंधों के अंतर्गत राजनयिक मिशन के सदस्यों अथवा कौंसुली अधिकारियों के वित्तीय **विशेषाधिकारों** पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुच्छेद - 29**प्रवृत्त होना**

1. संविदाकारी राज्य इस करार को लागू करने के लिए अपने-अपने कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के संबंध में राजनयिक माध्यमों से लिखित रूप में एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे ।
2. यह करार इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं की परवर्ती तारीख को प्रवृत्त होगा ।
3. इस करार के उपबंधों का निम्न प्रभाव होगा :-
 - क) भारत में, जिस कैलेन्डर **वर्ष** में यह करार लागू होता है उसके तत्काल अनुवर्ती कैलेन्डर **वर्ष** के अप्रैल माह की पहली तारीख को अथवा इसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय **वर्ष** में प्राप्त की गई आय के संबंध में ; और
 - ख) भूटान में, जिस कैलेन्डर **वर्ष** में करार लागू होता है, उसके तत्काल अनुवर्ती कैलेन्डर **वर्ष** के जनवरी माह की पहली तारीख को अथवा उसके बाद शुरू होने वाली किसी आय **वर्ष** के लिए उद्भूत आय के संबंध में ।

अनुच्छेद - 30**समापन**

यह करार अनिश्चित समय तक लागू रहेगा जब तक कि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इसे समाप्त नहीं कर दिया जाता। दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इस करार के लागू होने की तारीख से लेकर पांच **वर्ष** की अवधि पूरी होने के बाद शुरू होने वाले किसी कैलेन्डर **वर्ष** की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले राजनयिक माध्यम से समापन का नोटिस देकर करार को समाप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में यह करार निम्न के संबंध में **निष्प्रभावी** हो जाएगा :

- क) भारत में, जिस कैलेन्डर **वर्ष** में समापन का नोटिस दिया जाता है उसके अगले अनुवर्ती कैलेन्डर **वर्ष** की पहली अप्रैल को अथवा उसके बाद किसी वित्तीय **वर्ष** में प्राप्त की गई आय के संबंध में; और
 - ख) भूटान में, जिस कैलेन्डर **वर्ष** में समापन का नोटिस दिया जाता है उसके अगले अनुवर्ती कैलेन्डर **वर्ष** के जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद किसी आय **वर्ष** में प्राप्त की गई आय के संबंध में।
- जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।

में **वर्ष** दो हजार **तेरह** के **मार्च** माह के **चौथे** दिन अंग्रेजी, हिन्दी और **जोखा भाषाओं** में दो-दो मूल प्रतियों में **निष्पन्न** किया गया और **सभी** पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

(पी चिदम्बरम)
वित्त मंत्री

भूटान साम्राज्य की शाही
सरकार की ओर से

(लियोनपो वांगडी नोरबू)
वित्त मंत्री

प्रोटोकोल

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार एवं राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य और रॉयल भूटान सरकार के बीच इस तारीख को सम्पन्न करार पर हस्ताक्षर करने के लिए अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित उपबंधों पर सहमत हुए हैं, जो करार के अभिन्न अंग होंगे :

"यह समझा जाता है कि यदि किसी संविदाकारी राज्य का स्वदेशी कानून इस करार के उपबंधों की तुलना में दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी के लिए अधिक लाभकारी हो तो प्रथमोल्लिखित राज्य के स्वदेशी कानून के उपबंध उस सीमा तक लागू होंगे जिस सीमा तक वे ऐसे निवासी के लिए अधिक लाभकारी हों।"

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं।

में वर्ष दो हजार तेरह के मार्च माह के चौथे दिन अंग्रेजी हिन्दी और जौखा भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में निपन्न किया गया और सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

भूटान साम्राज्य की शाही
सरकार की ओर से

(पी चिदम्बरम)
वित्त मंत्री

(लियोनपो वांगडी नोरबू)
वित्त मंत्री